न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 18/2016 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— फैज मोहम्मद पुत्र श्री गुलाम रसूल जाति मुसलमान निवासी रोड़ा वाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

————अपीलान्ट

——बनाम——

स्टेट ऑफ राजस्थान।

————रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री हीरालाल जोशी — अभिभाषक अपीलांट

श्री भगवानसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 19.6.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 17.03.2016 जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 34/79 डीएम श्रीगंगानगर, निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 34/79 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 10398 दर्ज है तथा दिनांक 31.12.2009 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष अपीलांट ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.01.2016 में अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 121/1988 अन्तर्गत धारा 447, 448, 427, 342, 147 भादंस में दर्ज हुआ तथा दिनांक 3.12.96 को सजा हुई, मु.नं. 351/1990 अन्तर्गत धारा 447, 427, 34 भादंसं में दर्ज हुआ तथा दिनांक 5.8.98 को सजा हुई, मु.नं. 321/1990 अन्तर्गत धारा 447, 379, 147 भादंसं में दर्ज हुआ, जिसमें अदालत द्वारा दिनांक 27.9.96 को बरी किया गया एवं मु.नं. 170/1988 अन्तर्गत धारा 326, 324, 323 भादंसं में दर्ज हुआ व अदालत द्वारा दिनांक 26.4.2000 को बरी होना बताया । जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध चार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें उल्लेखित दो मुकदमों में अदालत द्वारा सजा दिये जाने तथा लोक शांति की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री हीरालाल जोशी ने बहस करते हुए कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई Reasons या Grounds अंकित नहीं किये है। अतः अपीलाधीन आदेश Speaking Order की श्रेणी में नहीं आता है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ द्वारा अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक की अनुशंषा को नहीं मानने का भी कोई कारण व आधार अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश में लोक शांति की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट का लाईसेंस निरस्त किया है, जबकि अपीलांट से लोक शांति की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है ऐसी कोई Finding अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में नहीं दी है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो शून्य व निष्प्रभावी है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2001(1)RCR Criminal P.106, 1989(1) RCR(Cr.)P.657, 2016(4)WLN. P. 425, 2018(1)Law Hevald P. 626 को अवलोकनीय बताते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चर्तुभुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.1.2016 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध चार आपराधिक मुकदमा भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुए हैं, जिनमें से दो मुकदमों में माननीय न्यायालय अपीलांट को दोष मुक्त किया है, और दो मुकदमों में सजा हुई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आपराधिक पृष्ठभूमि का है। ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास हथियार रहने से लोक शांति व कानून व्यवस्था को खतरा रहता है । प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा व्यापक लोक शांति और कानून व्यवस्था के मध्यनजर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट और राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के उपलब्ध रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। यह अपील जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.16 के विरुध्द दिनांक 14.6.16 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके विरुध्द राज्य पक्ष द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । न्याय हित में अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है ।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट का बहस में मुख्य बिन्दु यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किये जाने का कोई कारण या आधार अंकित नहीं किया है। केवल मात्र जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.1.2016 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 30.1.2016 में उल्लेखित अपीलांट के विरूद्ध दर्ज चार मुकदमों में से दो में सजायाफता होने बताते हुए व्यापक लोक शांति और सुरक्षा के मध्यनजर आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा हो सकता है। हम जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि ऐसे आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास शस्त्र रहना समाज हित में उचित नहीं है एवं लोक शांति व कानून व्यवस्था को खतरा रहता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट में उल्लेखित मुकदमें अपीलांट की आपराधिक प्रवृति को इंगित करता है। अपीलांट ने हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिन पर गौर किया जा सके। प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3(ख) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापक लोकशान्ति की सुरक्षा के लिए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 19.6.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर